गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ
दूरभाष संख्याः (0522) 2732193, फैक्स संख्याः 2732185.

पत्रांकः जी.बी.टी.यू./प्र०प०/विधान परिषद/2011/1404 दिनांकः 10 फरवरी, 2011

सेवा में, **अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयवद्ध**

निदेशक/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासन द्वारा वित्त पोषित तथा
निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण/व्यवसायिक संस्थान।

विषयः मूल प्रमाण पत्र एवं जमा फीस वापसी के संबंध में (विधान परिषद आश्वासन सं0332-47 -2010)।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र सं0 जी0बी0टी0यू0/प्र0प0/विधान परिषद/2011/ 1337 दिनांक 24.1.2011 के संदर्भ में सूचित करना है कि शासन के पत्र सं0 2717/सोलह-1-2010 -2(सीक्यू-1)/2010 दिनांक 2.11.10 एवं शासन के पत्र सं0 2717/सोलह-1-2010-2(सीक्यू-1)/2010 दिनांक 6.1.2011 के द्वारा विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2010 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित मा0 सदस्य विधान परिषद डा0 यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या-38 के संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/रा0प्र0प0/2008/1311 दिनांक 24.9.08 के माध्यम से उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित दिनांक 12.9.08 से 16.9.08 तक सम्पन्न कराई द्वितीय काउन्सिलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों का प्रवेश दूसरी संस्था में हो गया था जहाँ पर वे प्रवेश भी ले लिए थे, परन्तु प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम से पूर्व में जिन संस्थाओं में प्रवेश लिए थे उनमें से कतिपय संस्थाओ द्वारा अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र एवं संस्था में जमा शुल्क वापस नही किया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 24.9.08 द्वारा जमा शुल्क एवं मूल प्रमाण पत्र वापस किये जाने के निर्देश दिए गये थे। सूचित है कि आपकी संस्था से उक्त अवधि के दौरान प्रवेशित छात्रों के कितने अभ्यर्थियों की फीस वापस की गई, किसकी नही वापस की गई, इस आशय की सूचना शासन द्वारा निम्न प्रारूप पर मांगी गई है:-

क्रमांक	वर्ष 2008 में द्वितीय काउन्सिलिंग से प्रभावित होने वाले छात्र का नाम	प्रथम काउन्सिलिंग में आवंटित कालेज का नाम, जिसमें प्रवेश लिया	द्वितीय काउन्सिलिंग में आवंटित कालेज	प्रथम कालेज द्वारा छात्र की जमा फीस वापस की गई अथवा नही? यदि वापस कर दी गई तो उसका विवरण

चूँकि यह प्रकरण विधान परिषद से संबंधित था इसलिए उक्त सूचना एक सप्ताह के अंदर मांगी गई थी परन्तु कुछ संस्थाओं द्वारा ही उक्त सूचना फैक्स/विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रकरण विधान परिषद के एक प्रश्न से संबंधित है इसलिए प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही अपेक्षित है। अतएव सूचित है कि उक्त सूचना दिनांक 11.2.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक फैक्स/विशेष वाहक के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करा दें। यह भी सूचित है कि जिन संस्थाओं द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नही कराई जायेगी, उक्त विचलन के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही की स्थिति में संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

भवदीय

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः श्री अनिल कुमार बाजपेई, अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 2717/सोलह-1-2011-2(सीक्यू-1)/2010 दिनांक 19.1.11 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव